


26
न्यायालय माननीय- राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ४ म०प०४



श्री रामजीरु सिवाय
एड. व्हा. वेरा, 6.10.12

R-3820-II12

6.10.12 निगरानी प्रकरण क्रमांक ----- /2012-13

बीड

1- अग्रनाथ तनय भवत पटेल

2- विन्डलाल पटेल तनय अग्रनाथ पटेल

सभी निवासी ग्राम बड़ागाँव तहसील सिड्हाबल, जिला सीधी म०प०-----

-----पुनरीक्षणकर्ता

नाम,

1- मल्ली देवी पत्नी अग्रनाथ पटेल

2- अभिराज तनय अग्रनाथ पटेल

सभी निवासी ग्राम बड़ागाँव तहसील सिड्हाबल, जिला सीधी म०प०

----- अनावेदकगण

पुनरीक्षण फिर्दा आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त
महोदय रीवा सभागरीवा ४ म०प०४ प्रकरण क्रमांक-1177
/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 19.7.2012,

पुनरीक्षण अन्तरगत धारा 50 म०प०धु राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निर्माणीकृत है :-----

✓ यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया तथ्य एवं
सहज न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तगी है ।

2/ यह कि विन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अधीन पत्नी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3820-I/12

जिला-सीधी

अग्रनाथ पटेल / मल्लीदेवी पटेल

(1)	(2)	(3)
02.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. अनावेदकगण तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	 सदस्य